राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 04] पन्द्रहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का पहला दिवस [संख्या: 01

शुक्रवार,

24 जनवरी 2020

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 12.24 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम् ।
शुभ्र ज्योत्स्नां पुलकित यामिनीम्।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्।
सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम् ।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। सचिव।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति

सचिव, राजस्थान विधान सभा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

(राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पन्द्रहवीं राजस्थान विधान सभा के द्वितीय सत्र में पारित उस विधेयक का विवरण सदन की मेज रखता हूं, जिस पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

(सचिव)

राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019.

संदेश

संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 का अनुसमर्थन

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 118 का.का. (2) के अंतर्गत सदन के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 के संदेश की सूचना सदन को देते हुए राज्य सभा से प्राप्त पत्र क्रमांक RS.1/69/2019-B दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 को सदन की मेज पर रखता हूं जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 334 में लोक सभा में तथा राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों का आरक्षण और आंग्ल भारतीय समुदाय के नामनिर्देशन द्वारा प्रतिनिधित्व की अवधि संबंधी संशोधन प्रस्तावित है तथा संविधान के अनुच्छेद 368 (2) में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार उपरोक्त विधेयक पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त किये जाने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों की विधान मण्डलों द्वारा अनुसमर्थन करवाने संबंधी संकल्प अपेक्षित है।

अध्यादेश

श्री अध्यक्ष: अध्यादेश, श्री शान्ती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, तीन अध्यादेश सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं:-

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2019

1. राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक-3)

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश, 2019

2. राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक-4)

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2019

3. राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक-5)

श्री अध्यक्ष: शोकाभिव्यक्ति।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत इस विधान सभा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री देवेन्द्र सिंह, पूर्व राज्य मंत्री श्री रतनलाल ताम्बी एवं श्री कुन्दनलाल मिगलानी तथा पूर्व सदस्य श्री माधोसिंह कछवाह के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

देवेन्द्र सिंह, श्री, पूर्व उपाध्यक्ष

विधान सभा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री देवेन्द्र सिंह का जन्म 12 अप्रैल, 1934 को भीलवाड़ा के बड़लियास ग्राम में हुआ। आपने स्नातक की उपाधि प्राप्त की।

श्री देवेन्द्र सिंह सातवीं, नौवीं एवं ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा में विधायक रहे। आप सातवीं एवं नौवीं विधान सभा में बनेड़ा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (आई) तथा ग्यारहवीं विधान सभा में भीलवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से इण्डियन नेशनल कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। ग्यारहवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप 26 मार्च, 1999 से 4 दिसम्बर, 2003 तक विधान सभा के उपाध्यक्ष के पद पर आसीन रहे। अपने कार्यकाल के दौरान आप स्वस्थ संसदीय परम्पराओं के पालन के लिये प्रतिबद्ध रहे। श्री सिंह अक्टूबर, 1982 से फरवरी, 1985 तक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विशिष्ट योजना एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग तथा सूचना एवं जन सम्पर्क

(श्री अध्यक्ष)

विभाग के राज्य मंत्री रहे। इस दौरान आपके पास कृषि विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी रहा। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप गृह समिति एवं जन लेखा समिति के सदस्य रहे।

ग्रामीण विकास के लिये प्रयत्नशील रहे श्री सिंह 12 वर्षों तक ग्राम पंचायत बड़लियास के सरपंच तथा 13 वर्षों तक पंचायत समिति कोटड़ी के प्रधान रहे। आप केन्द्रीय सहकारी बैंक, भीलवाड़ा के उपाध्यक्ष, राजस्थान सहकारी स्पिनिंग मिल लिमिटेड के संचालक मण्डल के अध्यक्ष तथा विभिन्न सलाहकार समितियों के सदस्य रहे।

श्री देवेन्द्र सिंह का दिनांक 11 जनवरी, 2020 को निधन हो गया।

रतनलाल ताम्बी, श्री, पूर्व राज्य मंत्री

पूर्व राज्य मंत्री श्री रतन लाल ताम्बी का जन्म 27 दिसम्बर, 1937 को भीलवाड़ा जिले के पण्डेर में हुआ। आपने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जहाजपुर से साहित्य सुधाकर की शिक्षा प्राप्त की।

श्री रतनलाल ताम्बी सातवीं, आठवीं, दसवीं एवं ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा में जहाजपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप सातवीं एवं दसवीं विधान सभा में निर्दलीय, आठवीं विधान सभा में कांग्रेस(आई) तथा ग्यारहवीं विधान सभा में इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति 'क' एवं पुस्तकालय समिति के सदस्य रहे। आप गृह समिति एवं पुस्तकालय समिति के सभापति भी रहे। आप दिसम्बर, 1989 से मार्च, 1990 तक राजकीय उपक्रम (स्वतंत्र प्रभार), ऊर्जा एवं सिंचाई विभाग के राज्य मंत्री रहे। श्री ताम्बी के पास मई, 2002 से दिसम्बर, 2003 तक खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार भी रहा।

अपने सार्वजनिक जीवन में श्री ताम्बी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एवं भूदान बोर्ड के अध्यक्ष, ग्राम पंचायत पण्डेर के सरपंच, पंचायत समिति जहाजपुर के प्रधान तथा तीन बार जिला परिषद, भीलवाड़ा के सदस्य रहे। आप 17 वर्षों तक पंचायत समिति जहाजपुर के सदस्य भी रहे। श्री ताम्बी राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एवं राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय संघ के संचालक मण्डल के सदस्य रहे। आप राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय के सदस्य भी रहे।

(श्री अध्यक्ष)

कांग्रेस से सम्बद्ध रहे श्री ताम्बी ने भीलवाड़ा जिले में दल के विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दीं। आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राज्य स्तरीय 20 सूत्री कार्यक्रम समिति, पत्रकार संघ एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भीलवाड़ा के सदस्य रहे। समाज सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले श्री ताम्बी अनेक सलाहकार समितियों के सदस्य रहे।

श्री रतनलाल ताम्बी का दिनांक 17 जनवरी, 2020 को निधन हो गया।

कुन्दनलाल मिगलानी, श्री, पूर्व राज्य मंत्री

पूर्व राज्य मंत्री श्री कुन्दनलाल मिगलानी का जन्म वर्ष 1932 में पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त के ग्राम खोबा में हुआ। आपने पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी नौवीं राजस्थान विधान सभा में करणपुर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। आप मार्च, 1990 से दिसम्बर, 1992 तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के राज्य मंत्री रहे। इस दौरान आपके पास समाज कल्याण विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी रहा। श्री मिगलानी सहकारिता एवं समाज कल्याण विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में श्री मिगलानी वर्ष 1954 से 1980 तक अपनी ग्राम पंचायत के पंच एवं सरपंच रहे। आप नगरपालिका गजसिंहपुर के अध्यक्ष तथा राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था की कार्यकारिणी समिति के सदस्य रहे। श्री मिगलानी कृषि उपज मण्डी गजसिंहपुर के अध्यक्ष तथा लगभग 10 वर्ष तक चक 8 आर.बी. ग्राम सेवा सहकारी समिति के सचिव भी रहे।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी का दिनांक 3 दिसम्बर, 2019 को निधन हो गया।

माधोसिंह कछवाह, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री माधोसिंह कछवाह का जन्म सितम्बर, 1933 को जोधपुर में हुआ। आपने बी.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री माधोसिंह कछवाह छठी राजस्थान विधान सभा में सरदारपुरा

(श्री अध्यक्ष)

निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक रहे। आप विधान सभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे।

आध्यात्मिक चिंतन एवं भारतीय संस्कृति के प्रसार हेतु प्रयासरत रहे श्री कछवाह आध्यात्मिक साहित्य का नि:शुल्क वितरण करते थे। आप गरीब विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देने तथा अनुसूचित एवं दलित वर्ग के उत्थान हेतु सेवारत रहे। श्री कछवाह ने अनेक शिक्षण संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं और सामाजिक संस्थाओं में अवैतनिक सेवाएं दीं।

श्री माधोसिंह कछवाह का दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनंतर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी)

सदन की बैठक शनिवार, दिनांक 25 जनवरी, 2020 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 12.35 बजे शनिवार, दिनांक 25 जनवरी, 2020 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट

माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र

का अभिभाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगण,

पन्द्रहवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं सभी सदस्यगण को वर्तमान सरकार के सुशासन के एक वर्ष पूर्ण होने पर शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।

2. मुझे हर्ष है कि सरकार द्वारा नवीन समृद्ध राजस्थान के निर्माण की दिशा में दृढ़ संकल्प के साथ बेहतरीन कार्य किये जा रहे हैं। सरकार ने प्रदेश में लोक कल्याण और जन सेवा की भावना से उत्तरदायी, पारदर्शी और संवेदनशील कार्यप्रणाली विकसित करने की दिशा में नये आयाम स्थापित किये हैं।

3. यह सुखद संयोग है कि देश एवं प्रदेश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. श्री राजीव गांधी की 75वीं एवं संविधान निर्माण की 70वीं जयन्ती मना रहा है। इसके साथ ही आगामी पीढ़ी को संविधान की महत्ता, संवैधानिक तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था एवं भारत रत्न डा. भीमराव अम्बेडकर के योगदान को स्मरण करने के लिए विधान सभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाकर चर्चा की गयी थी।

4. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन मूल्यों एवं नैतिक आदर्शों यथा सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, ग्राम स्वराज, सत्याग्रह के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सरकार उन्हीं मूल्यों का अनुसरण कर रही है एवं उनके मूल्यों को आत्मसात करने के लिए सतत् प्रयास जारी हैं।

5. राज्य सरकार प्रदेश के आमजन एवं गरीब को समय पर निःशुल्क और सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। राज्य सरकार द्वारा आम आदमी को अनिवार्य रूप से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ''राइट टू हैल्थ केयर'' कानून लाने की कार्यवाही की जा रही है।

6. "निरोगी राजस्थान" अभियान 18 दिसम्बर, 2019 से शुभारम्भ कर 40 हजार गांवों में 80 हजार स्वास्थ्य मित्र बनाए जा रहे हैं।

7. वर्तमान सरकार ने अपने गत कार्यकाल में वर्ष 2011 में आम आदमी हेतु निःशुल्क दवा योजना लागू की थी। यह योजना पूरे देश में सराही जा रही है। निःशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन में राज्य देश में प्रथम स्थान पर है।

8. मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवायी जा रही 607 दवाइयों में कैंसर, हृदय, श्वास एवं गुर्दा रोग आदि के उपचार हेतु नयी दवाओं को शामिल करते हुये अब 709 दवाइयां उपलब्ध करवायी जा रही हैं। निःशुल्क जांच योजना के अन्तर्गत जांचों की संख्या 70 से बढ़ाकर 90 की गयी है। साथ ही बी.पी.एल. एवं वरिष्ठ नागरिकों को एम.आर.आई. एवं सीटी स्केन की सुविधायें एस.एम.एस. अस्पताल की तर्ज पर 6 अन्य मेडिकल कालेज अस्पताल एवं आर.यू.एच.एस. मेडिकल कालेज (जयपुरिया अस्पताल) में भी निःशुल्क उपलब्ध करवायी जा रही हैं।

9. "आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना" का सितम्बर, 2019 से शुभारम्भ किया गया है।

10. जहां चिकित्सा संस्थान नहीं हैं, वहां के नागरिकों को अपने निवास के नजदीक तत्काल एवं निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रथम चरण में जयपुर में 12 जनता क्लिनिक खोले गए हैं।

11. राज्य में 22 जुलाई, 2019 से "खसरा-रूबेला अभियान" प्रारम्भ कर 1 करोड़ 91 लाख 77 हजार बच्चों का टीकाकरण किया गया है।

12. राज्य में नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए हुक्का बार संचालन पर तथा इलेक्ट्रोनिक सिगरेट के विक्रय, वितरण, भण्डारण एवं विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया गया है।

13. हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि हमारे प्रयासों से 60:40 के अनुपात में तृतीय फेज के अन्तर्गत राज्य में 15 नये मेडिकल कालेज खोलने की अनुमति भी भारत सरकार से लेने में हम सफल हुये हैं। इसी के साथ ही हमारी परफोर्मेंस के आधार पर भारत सरकार से सीएसएस के अन्तर्गत 6 राजकीय मेडिकल कालेजों में 950 पीजी सीटों में वृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

14. राज्य की सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर आयुर्वेद चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु चरणबद्ध रूप में 58 पंचायत मुख्यालयों पर आयुर्वेद चिकित्सालय-औषधालय खोले जाएंगे।

माननीय सदस्यगण !

15. कृषि राजस्थान की अर्थव्यवस्था की धुरी है। राज्य के किसानों की आमदनी बढ़े एवं उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार आये, इस हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

16. राज्य सरकार द्वारा किसानों के हितार्थ 1 हजार करोड़ रुपये के कृषक कल्याण कोष का गठन किया जा चुका है।

17. किसानों को कृषि के साथ कृषि प्रसंस्करण से जोड़ने के लिए 17 दिसम्बर, 2019 को राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019 जारी की गयी है। फूड प्रोसेसिंग इकाइयां लगाने वाले किसानों को 10 हैक्टेयर तक जमीन का भू-उपयोग परिवर्तन कराने की आवश्यकता समाप्त कर दी गयी है।

18. कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जयपुर जिले के कोटपूतली और धौलपुर जिले के बसेड़ी में कृषि महाविद्यालय खोले गये हैं।

19. किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ त्वरित और आसान तरीके से मिले, इस हेतु किसान सेवा पोर्टल शुरू किया गया है।

20. सरकार द्वारा उन्नत कृषि तकनीक को सहज एवं सरल तरीके से किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जयपुर में 17 दिसम्बर, 2019 को एक दिवसीय राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के सभी जिलों से लगभग 28 हजार कृषकों ने भाग लिया।

21. लघु एवं सीमान्त वृद्धजन सम्मान किसान पेंशन योजना को प्रदेश भर में लागू कर 75 वर्ष से कम आयु के किसानों को 750 रुपये प्रतिमाह तथा 75 वर्ष एवं अधिक आयु के किसानों को 1 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन से लाभान्वित किया जा रहा है।

22. वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मण्डी क्षेत्र में लगभग 249 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का निर्माण करवाया गया है।

23. किसानों को जल के कुशलतम उपयोग हेतु 7 हजार 301 किलोमीटर पाइप लाइन, 3 हजार 595 डिग्गी, 4 हजार 520 फार्म पौण्ड तथा 905 जल हौज के निर्माण हेतु लगभग 139 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता उपलब्ध करवायी गयी है।

24. वित्तीय वर्ष 2019-20 में कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा विकास कार्यों, सड़क निर्माण व अन्य विभागों के डिपोजिट कार्यों पर लगभग 208 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) योजना के अन्तर्गत राज्य की 119 कृषि उपज मण्डी समितियों को जोड़े जाने की स्वीकृति प्राप्त करने में हम सफल हुये हैं।

25. सरकार ने किसानों के ऋण माफी के अपने वादे को निभाते हुए पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश के किसानों का ऋण माफ करने का निर्णय लिया है।

26. सहकारी बैंकों द्वारा 30 नवम्बर, 2018 की बकाया के आधार पर दिसम्बर, 2019 तक अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण योजनान्तर्गत 20 लाख 26 हजार कृषकों को ऋण माफी प्रमाण पत्र जारी कर 7 हजार 689 करोड़ रुपये के ऋण माफ कर कृषकों को राहत दी गयी है।

27. सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकृत ऋणों को चुकाने में असमर्थ पात्र किसानों को 30 नवम्बर, 2018 की स्थिति में 2 लाख रुपये तक की सीमा का अवधिपार अल्पकालीन फसली ऋण वन टाइम सेटलमेन्ट लाकर माफ करवाने हेतु केन्द्र सरकार से यथोचित सहयोग हेतु आग्रह किया गया है।

28. राज्य सरकार द्वारा फसली ऋण वितरण को पारदर्शी एवं सुव्यस्थित बनाने के लिए सहकारी फसली ऋण आनलाइन पंजीयन एवं ऋण वितरण योजना 2019 प्रारम्भ की गयी है।

माननीय सदस्यगण !

29. राज्य में 1 जनवरी, 2019 से कृषि आदान अनुदान आनलाइन पे-मेनेजर के माध्यम से कृषकों के बैंक खातों में सीधे हस्तान्तरण किया जा रहा है एवं 1 जनवरी, 2020 से समस्त जिलों में एसडीआरएफ के तहत संचालित समस्त गतिविधियों एवं अन्य सहायता की डीएमआईएस साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन स्वीकृतियां जारी की जाकर सीधे ही प्रभावितों के खातों में राशि हस्तान्तरित की जा रही है।

30. वर्ष 2019 (खरीफ फसल 2076) में राज्य के 18 जिलों के 12 हजार 943 गांवों को बाढ़ के कारण खराबा होने पर अभावग्रस्त घोषित किया गया है। वर्ष 2019 (खरीफ सम्वत् 2076) में बाढ़ के संबंध में एनडीआरएफ से अतिरिक्त सहायता हेतु 2 हजार 645 करोड़ 86 लाख रुपये का ज्ञापन एवं वर्ष 2019 (सम्वत् 2076) में राज्य के 4 जिलों के 1 हजार 388 गांवों को सूखे के कारण अभावग्रस्त घोषित किया गया तथा सूखे के सम्बन्ध में अतिरिक्त सहायता हेतु लगभग 707 करोड़ 3 लाख रुपये का ज्ञापन भारत सरकार को भिजवाया गया है।

31. राज्य में बाढ़ से क्षतिग्रस्त आवासों हेतु प्रभावित व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिलों को वर्ष 2019 में 36 करोड़ 48 लाख रुपये आबंटित किये गये।

32. राज्य में 25 वर्षों से भी अधिक समय के उपरान्त टिड्डियों द्वारा किसानों की फसलों को भारी मात्रा में नुकसान किया गया है। हमारी संवेदनशील सरकार द्वारा किसानों की मदद हेतु त्वरित गति से विशेष गिरदावरी करवाते हुए प्रभावित 6 जिलों जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, पाली एवं जोधपुर को अब तक 30 हजार 37 किसानों के लिए कृषि आदान अनुदान भुगतान के लिए 47 करोड़ 80 लाख रुपये का बजट आबंटित किया जा चुका है एवं शेष बजट आबंटन किया जा रहा है।

33. प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राज्य की राजकीय सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही उनके लिये सम्पत्ति से संबंधित प्रावधानों में संशोधन कर केवल 8 लाख रुपये अधिकतम वार्षिक आय को ही पात्रता का आधार रखा गया है।

34. राजकीय महाविद्यालयों में इसी सत्र से प्रवेश में अति पिछड़े वर्गों के लिए 5 प्रतिशत एवं आर्थिक कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है।

35. राज्य में 55 वर्ष एवं अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम आयु की विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन राशि 500 रुपये को बढ़ाकर 750 रुपये किये गये हैं। वृद्धावस्था पेंशनधारियों की पेंशन में 250 रुपये की वृद्धि की गयी है।

36. प्रतिभावान दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए 'मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना' प्रारम्भ की गयी है।

37. खनन प्रक्रिया के दौरान श्रमिकों के स्वास्थ्य हितों एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये 3 अक्टूबर, 2019 को राजस्थान सिलिकोसिस नीति-2019 लागू कर दी गयी है। हमारा प्रयास है कि खननकर्ताओं को पाबंद किया जाये कि वो सारी सुविधायें उपलब्ध करवायें जिससे मजदूरों में यह रोग उत्पन्न ही नहीं हो।

38. विशेष योग्यजनों को सम्बल प्रदान करने हेतु संचालित मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना, अनुप्रति, संयुक्त सहायता, सुखद दाम्पत्य, राज्य स्तरीय पुरस्कार एवं छात्रवृत्ति में 8 करोड़ 42 लाख रुपये व्यय कर 4 हजार 681 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया गया। स्वयंसेवी संस्थाओं को लगभग 15 करोड़ रुपये का अनुदान भी वितरित किया गया।

39. मानसिक विमंदित महिला एवं बाल पुनर्वास गृह, जामडोली, जयपुर को अगस्त, 2019 में राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

40. दिनांक 10 जनवरी, 2020 को उदयपुर में एक जनजाति रोजगार मेले का आयोजन किया गया जिसमें 1 हजार 43 युवक-युवतियों ने भाग लिया। मेले में लगभग 50 कंपनियों ने 394 युवकों को रोजगार प्रदान किया और 338 युवाओं को प्रतीक्षा सूची में चयनित किया।

41. कमजोर आर्थिक व सामाजिक स्थिति वाले जनजाति क्षेत्र की 250 प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को प्रथम बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विशेष कोचिंग कोटा एवं उदयपुर के प्रतिष्ठित संस्थानों से प्रदान करायी गयी तथा जनजाति क्षेत्र के विद्यालयों एवं छात्रावासों के विद्यार्थियों को कैरियर मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु एक मार्गदर्शिका तथा मोबाइल एप "तूणीर" का निर्माण किया गया। राजकीय विद्यालयों में 54 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया गया।

42. प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने की मंशा के साथ 4 नवीन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय आम्बापुरा (बांसवाड़ा), पीपलखूंट (प्रतापगढ़), सराड़ा (उदयपुर) एवं डूंगरपुर में प्रारम्भ किये गये हैं।

43. अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण हेतु पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 2019 तक 24 हजार 16 अभ्यर्थियों को 17 करोड़ 99 लाख रुपये तथा मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना में 3 हजार 508 अभ्यर्थियों को 9 करोड़ 91 लाख रुपये स्वीकृत कर राशि का भुगतान सीधे ही विद्यार्थियों के खातों में हस्तांतरित किया जा रहा है।

44. सरकार द्वारा वर्ष 2019 में 6 हजार 786 हज यात्रियों को सफलतापूर्वक हज यात्रा करवायी गयी है।

माननीय सदस्यगण !

45. राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तीकरण के उद्देश्य से 1 हजार करोड़ रुपये की इंदिरा महिला शक्ति निधि का गठन किया गया है। इसके तहत महिला उद्यम प्रोत्साहन योजना, महिला प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्द्धन योजना तथा निःशुल्क लेखा प्रशिक्षण, कम्प्यूटर बेसिक कोर्स प्रशिक्षण, शिक्षा सेतु व जागरूकता की योजनायें स्वीकृत की जा रही हैं।

46. राज्य सरकार को 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

47. राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 7 हजार 500 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 4 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर 5 हजार 750 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 3 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर 4 हजार 250 रुपये किया गया है। इसके साथ ही आशा सहयोगिनियों एवं ग्राम साथिनों के मानदेय में भी वृद्धि की गयी है जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी एवं ग्राम साथिन सहित कुल 1 लाख 71 हजार 713 लाभान्वित हुये हैं।

48. नवम्बर, 2019 से महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना का शुभारम्भ किया गया है, जिसमें राज्य के प्रत्येक जिले में एक महात्मा गांधी आदर्श ग्राम का चयन कर उसे गांधीवादी जीवन मूल्यों के अनुसरण तथा विभिन्न विकास योजनाओं के अभिसरण के आधार पर समुदाय के सहयोग से समग्र रूप से विकसित किया जा रहा है।

49. गांवों के सुनियोजित विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में नवम्बर 2019 तक विभिन्न योजनाओं में 746 करोड़ रुपये व्यय कर ग्रामीण आधारभूत संरचना के 14 हजार कार्य पूर्ण कराये गये हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी नरेगा योजना में 5 हजार 810 करोड़ रुपये व्यय कर 51 लाख 89 हजार परिवारों के 73 लाख 51 हजार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्रति आवास पर 1 लाख 49 हजार 280 रुपये व्यय करते हुए 3 लाख 64 हजार परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है।

50. राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा संचालित परियोजनाओं के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवारों की महिलाओं को सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 हजार 536 करोड़ रुपये व्यय कर 1 लाख 51 हजार 150 स्वयं सहायता समूह, 11 हजार 380 ग्राम संगठन एवं 390 क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनाए गए हैं।

51. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत राज्य के समस्त पात्र परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ''कोई शौचालय से शेष नहीं'' अभियान चलाया जाकर उन्हे लाभान्वित किया जा रहा है।

52. ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 15 अगस्त, 2019 से 2 अक्टूबर, 2019 तक ''महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविर'' आयोजित किये जाकर 1 लाख 37 हजार 751 पट्टे जारी कर पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।

53. राज्य में लगातार गिरते भू-जल को रोकने, भू-जल स्तर में वृद्धि करने तथा वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण, संरक्षण तथा समुचित उपयोग करने हेतु राज्य सरकार द्वारा ''राजीव गांधी जल संचय योजना'' अगस्त, 2019 से प्रारम्भ की गयी है। योजना के प्रथम चरण में 3 हजार 963 गांवों में लगभग 1 लाख 80 हजार जल संग्रहण एवं जल संरक्षण के कार्य आगामी दो वर्षों में करवाये जायेंगे।

54. राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त आवासहीन कलाकारों, साहित्यकारों, लेखकों एवं खिलाड़ियों को रियायती दरों पर भूखण्ड आबंटन किये जाने के प्रावधान किये गये हैं।

55. घुमंतू-अर्द्धघुमन्तू, विमुक्त जातियों को भी पात्रतानुसार बी.पी.एल. में चयनित कर 50 वर्गगज तक का निःशुल्क आवासीय भूखण्ड पट्टा जारी करने के आदेश जारी किये गये हैं।

56. राजस्थान आवासन मण्डल के 42 शहरों की 50 योजनाओं में वर्षों से बिना बिके लगभग 21 हजार आवासों तथा फ्लैट्स में से प्रथम चरण में अधिशेष किये गये 9 हजार 605 आवासों तथा फ्लैट्स के ई-ऑक्शन द्वारा 50 प्रतिशत तक की छूट दी गयी, जिससे मात्र 35 दिवस में 1 हजार 10 आवास विक्रय कर 162 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। द्वितीय चरण में लगभग 4 हजार और अधिशेष आवासों को सम्मलित कर 'बुधवार नीलामी उत्सव' योजना के तहत 102 करोड़ रुपये मूल्य के 902 आवास तथा फ्लैट्स विक्रय किये गये।

57. राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 3 बड़े शहरों यथा जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में जनसंख्या वृद्धि, एवं प्रशासनिक कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए नगर निगमों को विभाजित कर 3 नये नगर निगम गठित किये गये हैं। नगरीय निकायों में प्रतिनिधित्व बढ़ाने हेतु सभी नगरीय निकायों में वार्डों की संख्या का पुनर्निर्धारण कर उनकी संख्या बढ़ाई गयी है।

58. जयपुर के परकोटे को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व हेरिटेज सिटी की सूची में शामिल किये जाने पर जयपुर में हेरिटेज नगर निगम की स्थापना की गयी है तथा स्पेशल एरिया मास्टर प्लान के तहत हेरिटेज प्लान, चारदीवारी संरक्षण एवं ट्रैफिक प्लान बनाया जा रहा है।

59. नगरीय निकायों, ट्रस्टों एवं प्राधिकरण आदि की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए नियमों में परिवर्तन एवं सरलीकरण किया गया है। नगरीय विकास कर सुलभता से जमा कराने हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण, व्यवहारीकरण, डिजिटलाइजेशन एवं आनलाइन स्वनिर्धारण कर जमा कराने की व्यवस्था की जा रही है।

60. राजस्थान राज्य के निर्माण में भागीदार रहे महापुरुषों के योगदान के साथ-साथ विधान सभा कार्यप्रणाली की जानकारी के लिये राजस्थान विधान सभा भवन में एक आधुनिक डिजिटल म्यूजियम का कार्य प्रारम्भ किया गया है।

61. राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन एवं बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन, 2019 अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

माननीय सदस्यगण !

62. राज्य में कोई भी व्यक्ति निसंकोच पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करा सकता है। यदि किसी कारणवश थाने में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एफआईआर दर्ज करवायी जा सकेगी। ऐसी स्थिति में थानाधिकारी की जवाबदेही भी तय की जायेगी। ऐसी व्यवस्था करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। इस ऐतिहासिक निर्णय से प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की संख्या में भारी बढ़ोतरी होगी, इसका एहसास रखते हुये भी जनकल्याणकारी सरकार का यह कर्तव्य है कि सभी को न्याय व सुनवाई सुनिश्चित हो।

63. राजस्थान देश का दूसरा ऐसा राज्य है, जिसने मॉब लिंचिंग कानून बनाया है। साथ ही राज्य में आनर किलिंग की घटनाओं पर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य है। ये दोनों बिल विधान सभा द्वारा अगस्त, 2019 में पारित कर माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हेतु प्रेषित किये हुए हैं। आशा है कि भारत सरकार शीघ्र ही इसे लागू करने में सहयोग करेगी।

64. अलवर जिले में पुलिस का एक नया जिला भिवाड़ी तथा थानागाजी में नया उप-अधीक्षक कार्यालय खोला गया है।

65. राज्य में विशेष जघन्य दर्ज अपराधों (हीनियस क्राइम) पर निगरानी रखने हेतु एक सी.आई.डी. (सी.बी.) शाखा में मॉनिटरिंग इकाई स्थापित की गयी है। महिलाओं एवं नाबालिगों के विरुद्ध अपराध प्रकरणों के लिये जिला स्तर पर पृथक इन्वेस्टीगेशन यूनिट उपाधीक्षक पुलिस का नया पद स्वीकृत कर राज्य के सभी 41 पुलिस जिलों में स्वीकृत की गयी है।

66. किसानों को बिजली उपलब्ध करवाने की प्रतिबद्धता को निभाते हुए 1 लाख 27 हजार 910 कृषि कनेक्शन एवं 6 लाख घरेलू कनेक्शन जारी किये गये। दिसम्बर, 2018 से अक्टूबर, 2019 तक 7 हजार 128 करोड़ रुपये का किसानों के बिजली के बिलों में राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया गया है।

67. किसानों पर बिजली बिल का कोई अतिरिक्त आर्थिक भार नहीं पड़े इसके लिए राज्य सरकार द्वारा आगामी 4 वर्षों तक कृषि विद्युत कनेक्शन पर बिजली की दरें नहीं बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है।

68. राज्य सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 18 दिसम्बर, 2019 को नवीन सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा नीति जारी की गयी है। दिसम्बर, 2018 से नवम्बर, 2019 तक 1 हजार 599 मेगावाट क्षमता की अतिरिक्त सौर ऊर्जा इकाई स्थापित की गयी। आगामी 4 वर्षों में 4 हजार 885 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा व 1 हजार 426 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा इकाई स्थापित करने का लक्ष्य है।

69. राज्य में 400 केवी का एक, 220 केवी का एक, 132 केवी के 12 ग्रिड सब-स्टेशन एवं 33 केवी के 296 सब-स्टेशन स्थापित किये गये हैं। छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन की छठी इकाई से व्यवसायिक उत्पादन शुरू हो गया है।

70. सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल परियोजना की 660-660 मेगावाट की इकाई 7 एवं 8 से विद्युत उत्पादन मार्च, 2020 से प्रारम्भ किया जायेगा। बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर में सौर ऊर्जा की संभावनाओं को देखते हुये 765 केवी ग्रिड सब स्टेशन जोधपुर में स्थापित किये जाने हेतु 2 हजार 741 करोड़ रुपये की योजना क्रियान्वित की जायेगी।

71. राज्य में शिक्षा क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिये 14 हजार 51 नवीन कक्षों, 23 नवीन भवनों के निर्माण तथा 83 भवनों की वृहद् मरम्मत कार्यों हेतु लगभग 1 हजार 582 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गए हैं।

72. राज्य में 60 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जा रहा है। राज्य में इस वर्ष 314 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में, 286 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया।

73. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती पर सभी जिला मुख्यालयों पर इसी वर्ष अंग्रेजी माध्यम से संचालित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों की स्थापना कर कक्षा 1 से 8 में लगभग 11 हजार विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है।

74. राजस्थान स्काउट आवासीय विद्यालय का संचालन स्काउट गाइड राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, जगतपुरा, जयपुर में 8 जुलाई, 2019 से प्रारम्भ कर दिया गया है।

75. आपकी बेटी योजना के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत छात्राओं को दी जाने वाली सहायता राशि 1 हजार 100 रुपये से बढ़ाकर 2 हजार 100 रुपये तथा कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत छात्राओं हेतु 1 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर 2 हजार 500 रुपये की गयी है। इस योजना से 19 हजार 500 से अधिक बेटियां लाभान्वित हो रही हैं।

76. राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा का प्रसार किये जाने की दिशा में इसी सत्र से विभिन्न क्षेत्रों में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले गये। वर्ष 2019-20 में 2 राजकीय कन्या महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है। राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर की 25 प्रतिशत सीटें बढ़ाई गयी हैं।

77. डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय एवं हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय पुनः स्थापित किये गये हैं।

78. राजकीय महाविद्यालयों की सभी वर्ग की छात्राओं के प्रवेश के समय लिये जाने वाली राजकीय निधि कोष की राशि को माफ किया गया है।

माननीय सदस्यगण !

79. प्रदेश के राजस्व विभाग के संरचनात्मक ढांचे को मजबूत करने के साथ ही किसानों एवं आमजन की विभिन्न समस्याओं के सहज निराकरण के लिए 5 उपखण्ड़, 7 तहसील, 4 उप तहसीलों एवं 216 नवीन राजस्व ग्रामों का सृजन किया गया है।

80. राज्य में नायब तहसीलदार के 220 पदों पर नियुक्ति दी गयी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा 17 जनवरी, 2020 को पटवारी के पदों में 470 पदों को और जोड़ कर कुल 4 हजार 421 पदों की संशोधित विज्ञप्ति जारी की गयी है जिन पर भर्ती शीघ्र की जा रही है।

81. तहसीलों में भू-अभिलेख संधारण को डिजिटलाइज्ड एवं आनलाइन किया जा रहा है। वर्तमान में 187 तहसीलों को आनलाइन करके अधिसूचना जारी कर दी गयी है।

82. जैसा कि सभी जानते हैं कि पशुधन हेतु निःशुल्क दवा योजना हमारी सरकार द्वारा पूर्व में ही लागू की गयी थी। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजनान्तर्गत अब तक 55 औषधियां उपलब्ध करायी गयी हैं। पशु चिकित्सा सेवाओं में विस्तार करने के लिये ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पशु चिकित्सा उपकेन्द्र स्थापित किये जाने की दिशा में इस वर्ष 400 नवीन उपकेन्द्रों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

83. दूध का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना में 1 फरवरी, 2019 से पशुपालकों को 2 रुपये प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है।

84. युवाओं को दुग्ध व्यवसाय से जोड़ने के लिए 1 हजार 337 सरस डेयरी बूथ दिसम्बर, 2019 तक आबंटित कर दिये गये हैं एवं 5 हजार का लक्ष्य रखा गया है।

85. आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए प्रत्येक पंचायत समिति पर नन्दी शाला स्थापित की जा रही है। गौवंश के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए गोशालाओं में छोटे पशुओं को मिलने वाले पशुधन की अनुदान राशि को 16 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये और बड़े पशुओं के लिए 32 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया गया है।

86. राज्य सरकार द्वारा गत एक वर्ष में 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान करने की दिशा में सरकारी क्षेत्र में 31 हजार 513 पदों पर युवाओं को नियुक्ति प्रदान की गयी है तथा 28 हजार 601 पदों के परिणाम जारी हो चुके हैं जिनकी नियुक्ति शीघ्र की जा रही है। इसके अलावा 8 हजार 922 पदों हेतु परीक्षा आयोजित हो चुकी है जिनका परिणाम आना शेष है। साथ ही 37 हजार 503 नये पदों हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी गयी है।

87. प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सम्बल प्रदान किये जाने की दिशा में मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के अन्तर्गत अब तक 224 करोड़ 14 लाख रुपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरित कर 1 लाख 58 हजार 576 बेरोजगार युवाओं को लाभान्वित किया गया है।

88. अन्त्योदय, बी.पी.एल. एवं स्टेट बी.पी.एल. के 1 करोड़ 74 लाख पात्र लाभार्थियों को एक रुपया प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं वितरित कर

लाभान्वित किया जा रहा है। योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मार्च, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक 85 करोड़ रुपये वहन किये गये हैं।

89. उचित मूल्य की दुकानों के आबंटियों की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर वह आबंटन उसके परिवार के आश्रित सदस्य को किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।

90. एनएएफसीसी के तहत नाबार्ड द्वारा प्राप्त अनुदान से बाड़मेर जिले में 1 हजार 195 हैक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण, जल व मृदा संरक्षण कार्यों हेतु 76 करोड़ 91 लाख रुपये के कार्य कराये जा रहे हैं।

91. चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में 15 हजार 855 हैक्टेयर में वृक्षारोपण के साथ ही 1 करोड़ 9 लाख पौधों का वितरण किया गया है।

माननीय सदस्यगण !

92. लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ आमजन को सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से पहुंचाने हेतु ''राजस्थान जन-आधार योजना, 2019'' का शुभारम्भ 18 दिसम्बर, 2019 को किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, जननी सुरक्षा योजना इत्यादि योजनाओं के लाभ हस्तांतरण किये जा रहे हैं।

93. राज्य के आम-जन को सरकार द्वारा विभिन्न सेवाओं का लाभ सुगमता से प्रदान करने हेतु 33 जिलों, 285 तहसीलों एवं 130 उप तहसीलों पर ई-मित्र प्लस मशीनें स्थापित की गयी हैं।

94. राज्य सरकार द्वारा शहीद आश्रितों की सहायता राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गयी है।

95. शहीद सैनिक के आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान भत्ता राशि 1 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर 3 हजार रुपये की गयी है।

96. द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं को दी जाने वाली पेंशन राशि 4 हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपये की गयी है।

97. राज्य सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को राजकीय सेवाओं में अवसर बढ़ाने हेतु दोहरे आरक्षण के सम्बन्ध में विसंगतियों को दूर किया गया है।

98. राज्य को भारत में सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने तथा समावेशी, संतुलित और सतत् औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये राजस्थान औद्योगिक विकास नीति, 2019 तथा उद्योगों को अधिकतम वित्तीय प्रोत्साहन देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 से प्रभावी की गयी है।

99. राज्य में एमएसएमई की सुलभ स्थापना एवं संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा ''राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) अधिनियम, 2019'' लाया गया है। इसके अन्तर्गत उद्यमों को प्रारम्भिक तीन वर्षों तक राज्य के विभिन्न विभागों की समस्त स्वीकृतियों एवं निरीक्षणों से मुक्त किया गया है। इस प्रकार का अधिनियम लागू करने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य है। इसके तहत राज-उद्योग मित्र पोर्टल पर 31 दिसम्बर, 2019 तक 2 हजार 811 उद्यमों को प्राप्ति ''प्रमाण-पत्र'' जारी किये जा चुके हैं।

100. महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती पर राज्य सरकार द्वारा खादी क्षेत्र में कतिन एवं बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिये खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर 50 प्रतिशत की विषेष छूट 2 अक्टूबर, 2019 से 28 फरवरी, 2020 तक दी जा रही है। इस ऐतिहासिक छूट का पूरे देश में बहुत अच्छा संदेश गया है एवं इस निर्णय से खादी वस्त्रों की बिक्री में अप्रत्याषित वृद्धि हुई है जिससे ग्रामीण कतिनों व बुनकरों को इसका भारी लाभ मिला है।

101. राज्य में नये उद्यम स्थापित करने तथा वर्तमान उद्यमों के विस्तार, आधुनिकीकरण एवं विविधिकरण के लिए ''मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना'' प्रारम्भ की गयी है जिसमें उद्यमियों को 10 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 5 से 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।

102. राज्य सरकार द्वारा 11 नये औद्योगिक क्षेत्र जयपुर, जोधपुर, कोटा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, नागौर, दौसा एवं सिरोही जिलों में विकसित किये जा रहे हैं।

103. आमजन को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिये वर्ष 2019-20 में 876 नई सुपर एक्सप्रेस ब्ल्यू लाइन बसों की खरीद हेतु

आदेश जारी किये जा चुके हैं। प्रदेश में पहली बार 48 इलेक्ट्रिक बसें अनुबन्ध पर लिये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।

104. मैट्रो परियोजना फेज-1बी का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। जयपुर में चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक मैट्रो ट्रेन का संचालन मार्च, 2020 से शुरू होने की संभावना है।

105. जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा जयपुर शहर में प्रदूषण कम करने एवं बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये 100 इलैक्ट्रिक बसों के संचालन के कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं।

माननीय सदस्यगण !

106. स्वतन्त्रता सेनानियों की चिकित्सा सहायता 4 हजार से बढ़ाकर 5 हजार रुपये प्रतिमाह की गयी। प्रदेश के समस्त स्वतंत्रता सेनानियों को राज्य में स्थित 34 सर्किट हाउसेज एवं राजस्थान हाउस में ठहरने की सुविधा प्रदान की गयी है। स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन 20 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह की गयी है।

107. प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मुंबई जाने वाले राज्य के परीक्षार्थियों एवं गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त राजस्थान के मूल निवासियों को उपचार हेतु राजस्थान भवन, वाशी-नवी मुंबई में रियायती दरों पर आवास सुविधा प्रदान की गयी है।

108. सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2018 से दिसम्बर, 2019 तक लगभग 13 करोड़ 27 लाख रुपये व्यय कर कुल 7 हजार 808 वरिष्ठ नागरिकों को लाभान्वित किया गया है।

109. राज्य में युवाओं को स्वस्थ रखने के लिए एवं खेलों के प्रति उनकी रुचि पैदा करने हेतु पहली बार 2 जनवरी से 6 जनवरी, 2020 तक जयपुर में राज्य खेल का आयोजन किया गया, जिसमें 18 खेलों में 8 हजार खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें पदक विजेताओं को 1 करोड़ 25 लाख रुपये की ईनामी राशि घोषित की गयी है।

110. खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय स्तर के खेलों में राजस्थान की ओर से भाग लेने वाले खिलाड़ियों को नौकरी में दो प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान का सरलीकरण किया गया है।

111. राज्य में डामर सड़क से वंचित 500 से अधिक आबादी वाले 1 हजार

गांवों को एक हजार करोड़ रुपये व्यय कर सड़कों से जोड़े जाने की दिशा में, प्रथम चरण में 342 गांवों को सड़कों से जोड़ने हेतु 403 करोड़ 29 लाख रुपये की लागत से 1 हजार 140 किलोमीटर लम्बी सड़कों के निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी गयी है।

112. ग्रामीण क्षेत्रों में 1 हजार 492 किलोमीटर लंबाई में मिंसिंग लिंक निर्माण कार्य पूर्ण किया गया तथा 1 हजार 477 किलोमीटर लंबाई के कार्य प्रगतिरत हैं।

113. राज्य सरकार द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों में नाली सहित विकास पथ बनाये जाने के क्रम में, प्रथम चरण में 182 ग्राम पंचायतों के लिये 142 करोड़ 53 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

114. वृहद् पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से सतही जल स्रोतों से वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 12 शहरों को आंशिक, 1 हजार 342 गांवों एवं 1 हजार 560 ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित किया गया है। इसके अलावा पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों व ढाणियों में 436 आर.ओ. प्लान्ट्स एवं 488 सौर उर्जा आधारित डी-फ्लोराइडेशन संयंत्र चालू कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है।

115. शहरी क्षेत्रों में चालू मीटर वाले घरेलू कनेक्शन पर 15 किलोलीटर मासिक उपभोग तक वाटर चार्ज समाप्त किया गया है तथा ग्रामीण क्षेत्र में निःशुल्क पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

116. विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिसम्बर, 2019 तक 2 हजार 44 करोड़ 98 लाख रुपये का व्यय किया गया है।

117. भारत सरकार द्वारा राजस्थान की नर्मदा नहर परियोजना को जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु राज्य को प्रथम पुरस्कार एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत तेजपुर नहर प्रणाली को सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अपनाकर जल के दक्षतापूर्ण उपयोग हेतु द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

118. चम्बल नहर प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2019 तक 39 करोड़ 17 लाख व्यय किये जाकर 53 किलोमीटर पाइप लाइनिंग का कार्य पूरा किया गया है।

माननीय सदस्यगण !

119. इस सत्र में निम्नांकित विधायी कार्य के साथ-साथ अन्य विधायी और वित्तीय कार्य सम्पादन हेतु आपके समक्ष विचारार्थ रखे जायेंगे:-

1. डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2020

120. इसी सत्र में राज्य में किसानों की खुशहाली तथा आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये विचार-विमर्श के साथ-साथ राज्य की जनता की समृद्धि, युवाओं एवं बेराजगारों की समस्याओं के समाधान, महिला सशक्तीकरण, राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं (निरोगी राजस्थान) तथा शिक्षा में सुधार, स्वायत्तशासी एवं पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाने पर विचार-विमर्श भी किया जायेगा।

121. मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस सदन के माननीय सदस्य जनता की खुशहाली के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसके विकास के लिए हर सम्भव प्रयास करते रहेंगे और इसमें अपना सार्थक योगदान देते रहेंगे।

122. आइये ! हम सब मिलकर महात्मा गांधी जी के 150वीं एवं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. श्री राजीव गांधी की 75वीं जयन्ती वर्ष के उपलक्ष्य में उनके आदर्शों एवं जीवन मूल्यों एवं राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण पर चलते हुए यह संकल्प लें कि हम नये एवं समृद्ध राजस्थान के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगें।

जय हिन्द!